कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग०)

दूरभाष क्रमांक 07868-223679 फेक्स क्रमांक-07868-241491 ई-मेल Kanker.court@nic.in

क्रमांक- 57 / एक-10-1 / 2006(SW)

कांकेर,दिनांक-13/12/2023

मैं, योगेश पारीक, जिला एवं सन्न न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर के शुद्धिपत्र क्रमांक 15250/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के परिपेक्ष्य में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय के लंबित अतिआवश्यक प्रकरणों की सुनवाई एवं सिविल तथा दाण्डिक प्रकरणों में उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 45/एक—11—1/2006 कांकेर दिनांक 26.09.2022 के अनुसार संपादित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

पृ०क्रमांक-2142/एक-10-1/2006(SW)

प्रतिलिपि :---

- 1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छ'०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर।
- 3. श्रीमती लीना अग्रवाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर।
- 4. श्री जी०के० नील्म, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर
- 5. श्री भूपेन्द्र वासनीकर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—01 एवं मुख्य न्या० मजि० उत्तर बस्तर कांकेर।
- 6. श्री आनंद बोरकर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—01 एवं न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर।
- 7. श्री शंकर कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 एवं न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी कांकेर।
- 8. श्री रिव कुमार कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 एवं न्या0 मिज् प्रथम श्रेणी पखांजूर।
- 9. श्री अरिन्दम नेरल, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो कांकेर के प्रथम अति० न्यायाधीश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 10. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उत्तर बस्तर कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 11. जिला अभियोजन अधिकारी, उत्तर ब्रस्तर कांकेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित !
- 12. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न ≔ उपरोक्तानुसार⁴



(योगेश पारीक) जिला एवं सन्न न्यायाधीश १उद्रार बस्तर कांकेर

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR **CORRIGENDUM**

No. 15250 /D&A/2023

Bilaspur, Date: 23/11/2023

To.

- 1. All the District & Sessions Judges, of the State of Chhattisgarh.
- All the Principal Judges/Judge, 2. Family Court, of the State of Chhartisgarh.

Subject:

Guidelines for the Judges on leave to avoid adjournments.

Ref.:

Earlier Memo No. 14754/D&A/2023, Bilaspur, date 08/11/2023.

Respected Sir/Madam,

On the subject cited above, as directed, this is inform you to appoint a Link Judicial Officer for all the courts within their district by amending the work distribution memo which is in existence.

The concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial dairy of that court and bound the witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave, in his absence, appropriate Judicial Officer be nominated by the District Judge on the date so fixed or in his absence senior most Additional District Judges.

It is also directed that, the same procedure be also followed in criminal cases too.

It is further directed that, the following addition has to be made in the earlier memo: -

Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will

be fixed for hearing / for the purpose for which it is already listed without fail. if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader.

(Arvind Kumar Verma) Registrar General

High Court of Chhartisgarh

23.11.2023

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR MEMO

No. 14754/D&A/2023

Bilaspur, Date: 08/11/2023

To,

- 1. All the District & Sessions Judges, of the State of Chhattisgarh.
- 2. All the Principal Judges/Judge, Family Court, of the State of Chhattisgarh.

Subject:

Guidelines for the Judges on leave to avoid adjournments.

Respected Sir/Madam,

On the subject cited above, as directed, this is inform you to appoint a Link Judicial Officer for all the courts within their district by amending the work distribution memo which is in existence.

The concerned Link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial dairy of that court and bound the witnesses except the official witnesses, and in case the Link Judicial Officer is also on leave, in his absence, appropriate Judicial Officer be nominated by the District Judge on the date so fixed or in his absence senior most Additional District Judges.

It is also directed that, the same procedure be also followed in criminal cases too.

(Arvind Kumar Verma) Registrar General

High Court of Chhattisgarh

08.11.2027

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय , बिलासपुर ज्ञापन

क्रमांक <u>1252</u>5/डी०&ए०/2023 प्रति . बिलासपुर, दिनांक 29/11/2023

- 1. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छत्तीसगढ़
- 2. समस्त प्रधान न्यायाधीश /नृयायाधीश, परिवार न्यायालय, छत्तीसगढ़

विषय: दीर्घकालीन अवकाश अवधि में एक्शन प्लान के प्रकरणों यथा पाँच वर्षों से अधिक अवधि से लंबित सिविल, क्रिमिनल एवं निष्पादन प्रकरण, एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मोटर दुर्घटना दावा एवं परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

ऊपर उल्लेखित विषय के संबंध में, यथा निर्देशित, आपको सूचित किया जाता है कि दीर्घावकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश) में एक्शन प्लान के प्रकरण यथा पाँच वर्ष से अधिक अविध से लंबित सिविल, क्रिमिनल एवं निष्पादन प्रकरण तथा एक्शन प्लान के प्रकरण यथा मोटर दुर्घटना दावा एवं परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्य विभाजन आदेश में ऐसी व्यवस्था करे कि किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश) में होने पर उनके न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण यथा पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित सिविल, क्रिमिनल एवं निष्पादन प्रकरण तथा एक्शन प्लान के प्रकरण यथा मोटर दुर्घटना दावा एवं परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त Link

Officer के द्वारा की जावेगी।

म्/ट रेजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर